**भारत सरकार**

**कोयला मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 1735**

**जिसका उत्तर 13 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है**

**कोयला खान कामगारों के स्वास्थ्य खतरे**

**1735. श्री एस. ज्ञानतिरावियम:**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला खान कामगारों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यह है कि वे दमा, आंखों में संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं और उनके पास अपनी आजीविका के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ठेकेदार खान कामगारों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से संबंधित प्रोटोकॉल से समझौता कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री**

**(श्री प्रल्हाद जोशी)**

**(क) और (ख) :** जी नहीं। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो सामान्य जनसंख्या की तुलना में कोयला खान कामगारों की सबसे बड़ी समस्या के रूप में अस्थमा, नेत्र संक्रमण या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या को दर्शाती हो। उनके स्वास्थ्य और आजीविका को सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

सीआईएल के पास स्वास्थ्य सुविधाओं का मजबूत नेटवर्क है। प्रत्येक कर्मचारी और कामगार को व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया लि (एनएलसीआईएल) के पास ओपनकास्ट खानें हैं जो पर्याप्त रूप से यंत्रीकृत हैं। इसलिए, खनन कार्यकलापों के लिए मैनुअल श्रमिक की तैनाती नहीं की गई है तथा व्यवसाय से संबंधित बीमारी

होने का कोई जोखिम नहीं है। एनएलसीआईएल खनन इकाइयों में लगे खनिकों और कार्यपालकों/पर्यवेक्षकों तथा कामगारों के समूह के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं (ओएचएस) का रखरखाव करता है जो लगभग उनके पूरे कामकाजी जीवन को कवर करते हैं और उनकी भर्ती से लेकर उनकी सेवानिवृत्ति तक स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी करते हैं। यह उन लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं का जल्दी पता लगाने में मदद करता है जो या तो कार्यस्थल के वातावरण से जुड़े हैं या व्यावसायिक तनाव और दोषपूर्ण व्यवहार के कारण है ताकि तनाव दूर किया जा सके और उचित समय पर स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप की योजना बनाना है। इस प्रकार यह मजबूत कार्यबल के संवर्धन और संरक्षण के माध्यम से कंपनी के निचले स्तर के परिणामों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) कर्मचारियों और संविदा कामगारों को चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती है। एससीसीएल के पास तेलंगाना के 6 जिलों में फैले चेस्ट फिजिशियन/नेत्र रोग विशेषज्ञ सहित विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने वाले सात क्षेत्रीय अस्पताल (821 विस्तार) और 21 औषधालय भी हैं, जहां खनन कार्य प्रगति पर है। एससीसीएल खानों और विभागों में कर्मचारियों को व्यावसायिक रोगों पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल करने और कर्मचारियों की पुरानी बीमारियों की निगरानी के लिए एससीसीएल के सभी क्षेत्रों में 12 व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र हैं और पीएमई के दौरान, कर्मचारियों / अनुबंध कार्यकर्ता को आंखों के अपवर्तन परीक्षण और चेस्ट रेडियोग्राफी से गुजरना होगा, यदि उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या पाई जाती है, तो उन्हें कंपनी के अस्पतालों में चिकित्सा उपचार दिया जाएगा।

**(ग) :** सीआईएल नए कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों/ठेकेदार कामगारों के लिए प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा (आईएमई) और मौजूदा कर्मचारियों/ठेकेदार कामगारों के लिए आवधिक चिकित्सा परीक्षा (पीएमई) निर्धारित नियमित, नियमित अंतरालों पर सीआईएल द्वारा अनुरक्षित अस्पतालों और औषधालयों में आयोजित करता है। इसके अलावा, ठेकेदार श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए कंपनी के विभिन्न अस्पतालों और औषधालयों में नियमित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का प्रावधान है, और 395 निजी अस्पतालों को कंपनी के कर्मचारियों और उनके हकदार परिवार के सदस्यों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर सूचीबद्ध किया गया है। अप्रैल, 2018 से मार्च, 2023 तक 74550 व्यक्तियों पर प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा आयोजित की गई है और इसी अवधि के दौरान 311945 व्यक्तियों की आवधिक चिकित्सा परीक्षाएं भी आयोजित की गई हैं।

एनएलसीआईएल सोसाइटी/अल्पावधिक/आउटसोर्स तथा अन्य ठेका कामगारों सहित खनन इकाइयों में कार्यरत सभी कामगारों के लिए प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा (आईएमई) आयोजित करता है। इसके अलावा आवधिक चिकित्सा परीक्षा (पीएमई) भी नियमित कर्मचारियों के समान तीन वर्ष में एक बार नियमित कर्मचारियों के समान ही सोसायटी/अल्पकालिक/आउटसोर्स और अन्य ठेका कर्मकारों के लिए की जाती है, चाहे उनकी आयु एनएलसीआईएल के नियमित कर्मचारियों के समान हो। एनएलसी इंडिया अस्पताल में ओएचएस (व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा) इकाई खनिकों के व्यावसायिक स्वास्थ्य और कल्याण की निगरानी के लिए डीजीएमएस दिशानिर्देशों के अनुसार आवधिक चिकित्सा परीक्षा (पीएमई) कार्यक्रम लागू करती है। पीएमई डीजीएमएस दिशानिर्देशों के अनुसार उम्र के बावजूद 3 साल में एक बार पूरी खनन आबादी को कवर करता है। ओएचएस ठेका कामगारों सहित खानों में लगे कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण की निरंतर निगरानी का भी अनुपालन करता है, जिन्हें 3 वर्षों की समयावधि के भीतर आवधिक चिकित्सा परीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया जाता है। इस चक्र को समय-समय पर दोहराया जाता है जो ओएचएस को व्यावसायिक स्वास्थ्य और खनिकों की भलाई पर उचित परिप्रेक्ष्य रखने में सक्षम बनाता है। पीएमई छाती एक्स रे और फेफड़ों के कार्य परीक्षण जैसी उचित जांच के माध्यम से किसी भी व्यावसायिक रूप से संबंधित श्वसन बीमारी की रोकथाम पर भी ध्यान केंद्रित करता है। ओएचएस निवारक स्वास्थ्य रणनीति के रूप में सभी इकाइयों के अधिकारियों और गैर-कार्यकारी अधिकारियों के लिए मास्टर हेल्थ चेकअप भी करता है।

एससीसीएल अपने अस्पतालों में ठेका कामगारों को चिकित्सा उपचार भी प्रदान करता है।

*****